न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2016

1 ओंकार पुत्र माला उम्र 60 वर्ष
2 विधाधर पुत्र दाना उम्र वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पालडी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 किशनाराम पुत्र भूराराम
2 लक्ष्मणगढ़सिंह पुत्र भूराराम
3 परमेश्वरलाल पुत्र भूराराम
4 दड़की पत्नी भूराराम
5 ओमप्रकाश पुत्र मोतीराम
6 कमला पुत्री मोतीराम
7 संतरा पुत्री मोतीराम
8 गोरधन पुत्र केशर (मृत)
8/1 प्रभाती पत्नी गोवर्धन
8/2 भागोती पुत्री गोवर्धन
8/3 सुमित्रा पुत्री गोवर्धन
8/4 विमला पुत्री गोवर्धन
8/5 सुमन पुत्री गोवर्धन
8/6 संजू पुत्री गोवर्धन
8/7 सुनिता पुत्री गोवर्धन
8/8 सुभाषचन्द पुत्र गोवर्धन
9 खेमचन्द पुत्र केशर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 राजेश पुत्र दाना
11 खांगाराम पुत्र लिखमा (मृत)
11/1 संतरा पुत्री खांगाराम
11/2 राजेन्द्र पुत्र खांगाराम
11/3 मनोहर पुत्र खांगाराम
12 फूसाराम पुत्र लिखमा
13 सुल्तान पुत्र लिखमा समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पालड़ी तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
14 तहसीलदार महोदय लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
15 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक पुराना नाम शेखावाटी ग्रामीण बैंक कूदन जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।
16 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खीरवा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ़ जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी श्री संतोष कुमार मीणा आर.ए.एस.
दावा उनवानी किशनाराम आदि बनाम विधाधर
मुकदमा नम्बर 155/2014 दिनांकित 20.01.2016

उपस्थिति :

1. श्री सोहन लाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 03.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 155/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 9 द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समक्ष अपीलाधीन वाद बाबत बंटवारा उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 लगायत 16 प्रस्तुत कर विवादित भूमियों खसरा नम्बर 303 रकबा 2.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 3.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 3.14 हैक्टेयर तन ग्राम पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर तथा भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 2.26 हैक्टेयर तन ग्राम पनलावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर का अविभाजित संयुक्त खाते, कब्जे, काश्त की भूमियां मान्य करते हुए उपरोक्त भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर अलग–अलग नींव सींव कायम की जाकर अलग लगान निर्धारित किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदत्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नही किये गये है। अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की आपत्ति का विधि अनुसार विवेचन कर निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 1.18 हैक्टेयर के 1/4 हक, हिस्से के रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है। वादीगण द्वारा अपीलाधीन वाद में समस्त भूमियों को अविभाजित होना स्वीकार किया गया है, परन्तु फिर भी अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 को उक्त भूमि में से कोई भी हिस्सा बंटवारे में नहीं दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गयी है कि उक्त भूमि में से अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 की हिस्सेदारी के बदले में किसी दूसरी जगह ज्यादा जमीन दी गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 0.09 हैक्टेयर का विभाजन ही नहीं किया गया तथा भूमि खसरा नम्बर 55 का जो विभाजन किया है उसमें अपीलांटस के हिस्से में दी गयी जमीन के रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 9 के हिस्से में दर्शित खेत चारागाह जमीन से सटकर होने के कारण रास्ते की समुचित व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विधिक प्रावधानों की पालना में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार द्वारा प्रथम बार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त विधिक त्रुटि होने पर पुन विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया है। तहसीलदार द्वारा पुन नियम 18 से 21 की पालना कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने पर विधि अनुसार अपीलांट की आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नही किये गये है। अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सूचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की आपत्ति का विधि अनुसार विवेचन कर निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 1.18 हैक्टेयर के 1/4 हक, हिस्से के रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है। वादीगण द्वारा अपीलाधीन वाद में समस्त भूमियों को अविभाजित होना स्वीकार किया गया है, परन्तु फिर भी अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 को उक्त भूमि में से कोई भी हिस्सा बंटवारे में नहीं दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गयी है कि उक्त भूमि में से अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 10 की हिस्सेदारी के बदले में किसी दूसरी जगह ज्यादा जमीन दी गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 0.09 हैक्टेयर का विभाजन ही नहीं किया गया तथा भूमि खसरा नम्बर 55 का जो विभाजन किया है उसमें अपीलांटस के हिस्से में दी गयी जमीन के रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 9 के हिस्से में दर्शित खेत चारागाह जमीन से सटकर होने के कारण रास्ते की समुचित व्यवस्था है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार करवाकर उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर